न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 28 / 2019 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2019 / 00061

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

रामलाल पुत्र करणाजी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम जेतपुरा, तहसील पाली जिला पाली राजस्थान।

1. ग्राम पंचायत डिंगाई जरिये सरपंच
2. बहादुरसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जेतपुरान तहसील पाली जिला पाली राजस्थान।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 18-8-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत डिंगाई तहसील पाली द्वारा मिसल संख्या 03 / 2014–15 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.08.2014 की पालना में पारित पट्टा संख्या 7786 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थी की सामलाती खातेदारी कृषि भूमी खसरा संख्या 260, 261, 313, 314 कुल रकबा 46 बीघा 6 बिस्वा ग्राम जेतपुरा तहसील पाली का अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा बना दिया। ग्राम पंचायत को अधिकतम 2700 वर्गफीट भूमी का पट्टा बनाने का अधिकार होता है जबकि पट्टा 5558.75 वर्गफीट भूमी का बनाया गया है जो स्वतः शून्य है। जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल 5558.75 वर्गफिट का होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा बनायी गयी मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा कृषि भूमी का बना हुआ है तथा मौका रिपोर्ट में वर्णित पड़ोसियान पट्टे में अंकित पड़ोसियान से भिन्न है प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 5.8.2014 क आदेशानुसार जिन गवाहों के बयान लिये गये वो अड़ोस पड़ोस के नही लिये जाकर अन्य व्यक्तियों के लिए गए है तथा अडोस–पड़ोस से बिना पूछे बिना उनकी अनापति प्राप्त किये उक्त जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया जो काबिल खारिज है। भूमी निरीक्षण प्रपत्र में वर्णित भूमी आबादी भूमी नहीं है तथा न ही आबादी भूमी में 5558.75 वर्गफिट का पट्टा पंचायत अधिनियम के नियमों के तहत जारी किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से जैर निगरानी पट्टे की प्रमाणित प्रति मांगने पर आवेदन पत्र को पुनः लौटा दिया जाने से पट्टे की सत्यप्रति के अभाव में जैर निगरानी पट्टे की फोटो प्रति संलग्न कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई। अतः जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमी में जारी नहीं कर कृषि भूमी में तथा पंचायत के क्षेत्राधिकार से अधिक भूमी का जारी किया जाने से खारिज फरमाने कें आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी रामलाल अप्रार्थी संख्या 1 स[illegible]ता है दोनों पिता पुत्र ने मिलीभगत कर बेईमानीपूर्ण आशय [illegible] यह [illegible]करण अप्रार्थी संख्या 2 को तंग, परेशान व खर्चे से जे[illegible] गई है। इससे पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा माननीय [illegible]व उपखण्ड अधि[illegible]पाली के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 107 / [illegible]6 व राजस्व विविध [illegible]ख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:38:24 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश....................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

09/2016 दिनांक 29.02.2016 को पेश किया जिसमें जवाबदाता अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट करने पर 25–30 खातेदारों की सामलाती भूमी अप्रार्थी संख्या 2 की आबादी भूमी से अलग होने व प्रार्थी की कृषि भूमी में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न करने, प्रार्थी आदतन व अप्रार्थी संख्या 2 से वैरभाव व द्वेषभावना रखने आदि बताने पर प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टा 7786 को कूटरचित व फर्जी बताते हुए माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली को मिथ्या तथ्यों पर आधारित परिवाद पेश किया जिसे माननीय न्यायालय ने पुलिस के नतीजे के अनुरूप झूठा माना। जो कि दोनों न्यायालयों के समक्ष पेश वाद व परिवाद निस्तारण की प्रतिलिपी पत्रावली संलग्न से स्पष्ट है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 को उसकी पैतृक आबादी भूमी पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) (2) के तहत जारी कर उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवाया हुआ है। उक्त अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त भूमी बाबत अतिरिक्त शुल्क लिये जाने का प्रावधान है जो ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाना चाहिए था जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है तथा उक्त कमीपूर्ति के लिए अप्रार्थी संख्या 2 अब भी तैयार है। तथा न्यायालय द्वारा ऐसी कमीपूर्ति हेतु पक्षकारान को विधिक अवसर प्रदान किये जाते है जिसके संबंध में विधि (सी.पी.सी.) में भी स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे को फर्जी व कुटरचित अभिकथित करते हुए दिनांक 29.02.2016 को वाद व दिनांक 20.11.2015 को परिवाद प्रस्तुत किए तथा उक्त निगरानी दिनांक 11.04.2019 को प्रस्तुत की गई है प्रार्थी को समस्त तथ्यों का पूर्ण ज्ञान होने के बाद भी जानकारी होने के लगभग 3 वर्ष 5 माह बाद यह निगरानी याचिका पेश की है जो केवल अप्रार्थी संख्या 2 को हैरान परेशान व खर्चे से जैर बार करने के लिए की गई है अतः याचिका म्याद बिन्दु के आधार पर भी काबिल खारिज है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर जैर निगरानी आराजी का पट्टा यथावत रखा जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी में विचारणीय बिन्दु 3 है :–

1. जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमी में जारी किया हुआ है अथवा खातेदारी भूमी में।
2. निगरानी निर्धारित समय सीमा में पेश की गई है अथवा नहीं।
3. पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया व नियमों का पालन किया गया अथवा नहीं।

पत्रावली संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी का पट्टा ग्राम पंचायत डिंगाई द्वारा मिशल संख्या 03/2014–15 प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.08.2014 की पालना में पट्टा संख्या 7786 दिनांक 20.10.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया। मिसल में आवेदन पत्र व बयान फॉर्म के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है कि उक्त पट्टा अप्रार्थी को आबादी भूमी के बाहर जारी किया गया है। तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त पट्टा आबादी भूमी में नहीं दिया गया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त जैर निगरा[illegible] पूर्व में थी जो प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी [illegible] सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद 07/2016 दिनांक 29.02.2016 व न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवाद दिनांक 02.12.2015 से स्पष्ट है। परन्तु निगरानी बाबत यदि कोई आदेश वैधता, उचितता व शुद्धता पर खरा नहीं उतरता है, तो म्याद के प्रश्न को गौण माना जा सकता है।

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.........................3

अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत डिंगाई द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में उक्त जैर निगरानी पट्टा 5558.75 वर्गफुट का जारी किया गया है जबकि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 (1)(i) के अनुसार ग्राम पंचायत को अधिकतम 300 वर्गगज (2700 वर्गफीट) क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है तथा नियम 157(ii) के अनुसार इससे अधिक क्षेत्रफल के लिए राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत राशि वसूल करने का प्रावधान है उक्त जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में न तो जिला स्तरीय समिति को लिखा गया ओर न ही उसकी सिफारिश के अनुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया गया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा 300 वर्गगज (2700 वर्गफीट) से अधिक भूमी का पट्टा नहीं दिया जा सकता है। अतः पट्टा निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत डिंगाई द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से अधिक क्षेत्रफल की भूमी का पट्टा जारी किया जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत डिंगाई तहसील पाली द्वारा मिसल संख्या 03/2014–15 व प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.08.2004 की पालना में जारी पट्टा संख्या 7786 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18-8-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:38:24 IST
Reason: SelfAttested